बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

पटना, दिनांक

संख्या–2/आ0–70–17/2016 गृ0आ0 /जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक 3050, दिनांक 29.10.2016 एवं पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) बिहार, पटना के पत्रांक–7955, दिनांक 02.11.2016 द्वारा प्रतिवेदित सूचना के आधार पर श्री चन्दन पुरी (बि0पु0से0), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जयनगर को दिनांक 27.10.2016 को निगरानी टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) एवं (ग) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 27.10.2016 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री पुरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाहन भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में श्री पुरी का मुख्यालय पुलिस उप–महानिरीक्षक, पूर्णियाँ के कार्यालय में निर्धारित किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं0–2/आ0–70–17/2016 गृ0आ0 9034 /पटना, दिनांक 17/11 , 2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस उप–महानिरीक्षक, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी मधुबनी/पुलिस अधीक्षक निगरानी, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना/श्री चन्दन पुरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि श्री पुरी के विरूद्ध साक्ष्यों सहित विस्तृत प्रतिवेदन एवं अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

3. पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि इस संकल्प की एक प्रति अपने स्तर से आरोपित पदाधिकारी को तामिला कराने की कृपा की जाय तथा तामिला प्रतिवेदन विभाग को भी उपलब्ध कराई जाय।

17/11/16

सरकार के उप सचिव।